चेक लिस्ट क्र. 34

वन अधिनियम मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 10-9/1998-FC दिनांक 12.05.2007

कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

कंडिका कमसंक 34

वन अधिनियम मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कमांक / F.No. 10-9/1998-FC दिनांक 12.05.2007

प्रमाणित किया जाता है कि, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसकी कुल लम्बाई 32.790 कि.मी., जिसमे 10.465 हेक्टे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। .वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में मुख्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य में चौड़ीकृत डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है, उक्त मार्ग हेतु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति का कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमंडल (छ.ग.)

(ए. के. दीवान)
परियोजना प्रबंधक
(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)
छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना
लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

291

कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा जिला–रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक /1581/स.अ.भू.अ./ 2021 रायगढ़ दिनांक 30/11/2021

प्रति

वनमंण्डलाधिकारी
वनमण्डल धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :– रायगढ़ जिला अंतर्गत पैकेज–20 धरमजयगढ़–कापू मार्ग कुल लंबाई 32.596 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रपत्र–1 (FORM–1) प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ :– कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/730/लोन–3/पी. 20/ए.डी.बी./2020–21 बिलासपुर दिनांक 17.08.2020।

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को धरमजयगढ़–कापू मार्ग (32.596) कि.मी. उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु जिला–रायगढ़ में धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत प्रभावित ग्राम ग्वारघुटरी पी.एफ.–355 रकबा 0.311 हे0, पी.एफ.–360 रकबा 0.213 हे0, मिरीगुडा पी.एफ.–354 रकबा 0.626 हे0, नकना आर. एफ.–641 रकबा 0.462 हे0, खम्हार आर. एफ.–629 रकबा 0.486 हे0, सोनपुर आर. एफ.–80 रकबा 1.762 हे0 आर.एफ.–35 रकबा 1.773 हे0 धरमजयगढ़ राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 1303/1क/1 रकबा 0.434 हे0, 1304/1क/1 रकबा 0.650 हे0, 1310/1क/1 रकबा 0. 344 हे0, 1311/1क/1 रकबा 0.902 हे0 और मिरीगुड़ा राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 558/1क रकबा 0.830 हे0, 558/9क एवं 560/1क रकबा 1.132 हे0, 209/1क रकबा 0. 540 हे0 के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु संरक्षित वन भूमि 1.150 हे0, आरक्षित वन भूमि 4.483 हे0 एवं राजस्व वन भूमि 4.832 हे0 कुल वन भूमि 10.465 हे0 के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रारूप प्रदर्स–स एवं लिनियर प्रकरण हेतु फार्म–1 में जानकारी चाही गयी है। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(रा0) धरमजयगढ़ से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को धरमजयगढ़–कापू मार्ग (32.596) कि.मी. उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.465 हे0 भूमि के लिए प्रदर्स–स तथा लिनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म–1 में जानकारी संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ0ग0)

292

पृ. कमांक / 1581 A / स.अ.भू.अ. / 2021 रायगढ़ दिनांक 30/11/2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध–व.स.अ.) अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
2. कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ0ग0)

SA-Later

293

FORM-1

Annexure-1

~~(for linear project)~~

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Raigarh

****

No ..1581....

Date 30.11.21

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **Total forest land 10.465 hectares,** of protected forest land 1.150 hectares, Reserve forest land 4.483 **hectares, and** revenue forest land 4.832 **hectares,** to be diverted in favour of Project Manager, Chhattisgarh Road Development ADB Project PWD Bilaspur for Dharamjaigarh to Kapu Road widening/upgrading Raigarh district falls within jurisdiction of Gavarghutri, Mirigudha,Nakna,Khamhar,Sonpur, and Dharamjaigarh Village in Dharamjaigarh tahsil

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **10.465 hectares,** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights as annexure 01 to annexure ......

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the consent of Gram sabha's have been exempted for linear project vide latter no. F. no. 11-9/98-FC (pt) of Government of India, ministry of Environment and forest's (FC Division) Dated 5th February 2013.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(BHIM SINGH)

District Collector Raigarh

BAGHEL

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण-पत्र

कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो. नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को धरमजयगढ़-कापू मार्ग (32.596) कि.मी. उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु जिला-रायगढ़ में धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत प्रभावित ग्राम ग्वारघुटरी पी.एफ.-355 रकबा 0.311 हे0, पी.एफ.-360 रकबा 0.213 हे0, मिरीगुडा पी.एफ.-354 रकबा 0.626 हे0, नकना आर. एफ.-641 रकबा 0. 462 हे0, खम्हार आर. एफ.-629 रकबा 0.486 हे0, सोनपुर आर. एफ.-80 रकबा 1.762 हे0 आर.एफ.-35 रकबा 1.773 हे0 धरमजयगढ़ राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 1303/1क/1 रकबा 0.434 हे0, 1304/1क/1 रकबा 0.650 हे0, 1310/1क/1 रकबा 0.344 हे0, 1311/1क/1 रकबा 0.902 हे0 और मिरीगुड़ा राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 558/1क रकबा 0.830 हे0, 558/9क एवं 560/1क रकबा 1. 132 हे0, 209/1क रकबा 0.540 हे0 के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु संरक्षित वन भूमि 1.150 हे0, आरक्षित वन भूमि 4.483 हे0 एवं राजस्व वन भूमि 4.832 हे0 कुल वन भूमि 10.465 हे0 के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी(रा0) धरमजयगढ़ प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि:-

1 प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र धरमजयगढ़-कापू मार्ग (32.596 कि.मी.) की वन भूमि (आरक्षित-4.483 हे0/ संरक्षित-1.150 हे0) एवं राजस्व वन भूमि 4.832 हे0 कुल रकबा 10.465 हे0 है जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा उपरोक्त ग्राम में स्थित है में तद्नुसार कार्यावाही .पूर्ण की गयी है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता प्राप्त धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	ग्वारघुटरी	निरंक	निरंक
02	मिरिगुडा	निरंक	निरंक
03	नकना	निरंक	निरंक
04	खम्हार	निरंक	निरंक
05	सोनपुर	निरंक	निरंक
06	धरमजयगढ़	निरंक	निरंक

2 लिनियर प्रकरण होने से ग्राम सभा की आवश्यकता नही है

3 यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4 संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष—जिला वन अधिकार समिति
जिला—रायगढ़(छ.ग.)